तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सिद्धराजसिंह बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 235 / 2020	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.20	अपीलार्थी सिद्धराजसिंह पुत्र रतनलाल गोदारा, पता राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.10.20 में उसके द्वारा (1) ग्राम झडासर के सरकारी खसरा नम्बर 868 पर दर्ज अतिक्रमण हटाने व अवैध नलकूप पर भूमाफिया को भूमि लीज नहीं देने बाबत् अति आवश्यक / महत्वूपर्ण पत्र आपके कार्यालय को रजिस्टर्ड भिजवाया गया, क्या अतिक्रमित भूमाफिया को अवैध नलकूप पर लीज जारी किया जा सकता है व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से जरिये पत्रांक 3528 दिनांक 02.12.2020 प्राप्त हुई रिपोर्ट में बतलाया कि आवेदक श्री सिद्धराजसिंह को सूचना का अधिकार अधि. 2005 के तहत चाही सूचना का प्रत्युत्तर कार्यालय हाजा के पत्र संख्या सू.अ. / 2020 / 3526 दिनांक 02.12.20 द्वारा भिजवाई गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना का प्रत्युत्तर अपील दायर करने के पश्चात् दिया गया है, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय के भीतर करे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:54:25 IST
Reason: SelfAttested